न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
28 / 2023	20.07.2023	5-8-2025

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामगोपाल आत्मज पोलीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री ललित कुमार मालव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि ग्राम भटखेडी पटवार हल्का चौमामालियान तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न विवरण की भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न है।

खसरा नम्बर 7 की 0.8400 हैक्टर

खसरा नम्बर 8 की 0.0800 हैक्टर कुल 2 किता की 0.9200 हैक्टर

2. यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता भोल्या पुत्र भंवरिया गलत रूप से दर्ज है और वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वादी का वास्तविक नाम पोलीलाल है जिससे राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम भोल्या पुत्र भंवरिया की जगह पोलीलाल पुत्र भंवरिया दर्ज किया जाना आवश्यक है

3. यह कि वादी के पिता की मृत्यु होने के बाद से वादी अपनी पुस्तेनी भूमी अपना नाम दर्ज करवाने से वंचित हो रहा है। तथा उक्त भूमि में वादी काबिज काश्त चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

और वादी भूमी सुधार के लिये उपरोक्त भूमि पर ऋण लेने, मुआवजा प्राप्त करने में वंचित हो रहा व काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब कि वादी के कि पिता के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में वादी के पिता का नाम पोलीलालपुत्र भवरलाल दर्ज करने को दिनाक 15.3.2023 को कहा तो प्रतिवादी ने नाम दुरूस्त करने से इनकार कर दिया ।

4. यह कि उपरोक्त परिस्थियों में वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी के खिलाफ माननीय न्यायालय में इन्द्रराज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5. यह कि वादी को दावा प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 15.3.2023 को प्रतिवादी द्वारा वादी का नाम दुरूस्त करने से मना करने पर पैदा हुआ।

1. कि ग्राम भटखेडी पटवार हल्का चौमामालियान तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 7 की 0.8400 हेक्टर, खसरा नम्बर 8 की 0.0800 हैक्टर कुल 2 किता की 0.9200 हेक्टर भूमि पर से वादी के पिता का नाम भोल्या पुत्र भंवरिया के स्थान पर पोलीलाल पुत्र भंवरिया अंकित कर दुरूस्ती की जावे।

2. कि प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

3. कि वादी को प्रतिवादी से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे।

4. अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2076–2079 ग्राम भटखेडी खाता सं0नया 17
2. नकल मतदाता पहचान पत्र
3. नकल परिवार राशन कार्ड
4. नकल मृत्यु प्रमाण पत्र
5. नकल जमाबन्दी सवंत् 2073–2076 ग्राम हरिपुरामांझी खाता सं0नया 188

वाद पत्र दर्ज रजि़स्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि वादी ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

कनवास मे निवास करता है अत प्रकरण मे रिपोर्ट तहसीलदार कनवास से मंगवाया जाना उचित है। तत्पश्चात तहसीलदार कनवास से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गईव पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में स्वयं रामगोपाल आत्मज पोलीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादीगण के पिता का नाम भोल्या पुत्र भंवरिया के स्थान पर भोल्या पुत्र भंवरिया उर्फ पोलीलाल पुत्र भंवरिया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम भटखेडी पटवार हल्का चौमामालियान तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 7 की 0.8400 हेक्टर, खसरा नम्बर 8 की 0.0800 हैक्टर कुल 2 किता की 0.9200 हेक्टर भूमि में वादी के पिता का नाम भोल्या पुत्र भंवरिया के स्थान पर भोल्या पुत्र भंवरिया उर्फ पोलीलाल पुत्र भंवरिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— रामगोपाल आत्मज पोलीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (वादी)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री ललित कुमार मालव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल न0 28/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम भटखेडी पटवार हल्का चौमामालियान तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 7 की 0.8400 हेक्टर, खसरा नम्बर 8 की 0.0800 हैक्टर कुल 2 किता की 0.9200 हेक्टर भूमि में वादी के पिता का नाम भोल्या पुत्र भंवरिया के स्थान पर भोल्या पुत्र भंवरिया उर्फ पोलीलाल पुत्र भंवरिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक् निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 5/8/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे	स्टाम्प अर्जी दावा	रूप्ये	पैसे
मुदई			मुदालयह		
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)